



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 25 फरवरी, 2026 ई०

फाल्गुन 06, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-04

संख्या 270/XX-4/2026- E-95171

देहरादून, 25 फरवरी, 2026

अधिसूचना

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (ITNDPS Act, 1988) की धारा-9(क) के अन्तर्गत PITNDPS सम्बन्धी प्रकरणों हेतु गठित 'राज्य परामर्शदात्री परिषद' में अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में महानुभावों को नामित किये जाने से सम्बन्धित पूर्व निर्गत समस्त अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुये तथा मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-956/Admin.A-2/Ad.Board/PITNDPS/F.No.113/2026, दिनांक 24.02.2026 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-9(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न विवरणानुसार 'राज्य परामर्शदात्री परिषद' का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (क) मा० न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी, न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल-अध्यक्ष
- (ख) मा० न्यायमूर्ति श्री एन०एस० धनिक (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून-सदस्य
- (ग) मा० न्यायमूर्ति श्री लोकपाल सिंह, पूर्व न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल-सदस्य

आज्ञा से,

निवेदिता कुकरेती,

विशेष सचिव।